

पिपिअ अनुसंधान 501

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



No. 5-1(72)/2009-PD
From

14th December, 2009

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Directors/Heads of all
National Labs./Instts. of CSIR

Sub: Financial assistance to CSIR employees for meeting medical expenses incurred for undergoing treatment for major illness in the private recognized hospitals over and above the amount admissible under CS(MA) Rules/CGHS rules from CSIR Welfare Fund in terms of CSIR letter dated 14.12.2001 – Extension of the Scheme regarding.

Sir,

I am directed to refer to this office circular letter No.14(38)/98- E.II dated 13.03.2007 whereby the period of scheme for financial assistance to the CSIR employees for meeting medical expenses incurred for undergoing treatment for major illness in the private recognized hospitals over and above the amount admissible under CS(MA) Rules/CGHS Rules from CSIR Welfare Fund in terms of CSIR letter dated 14.12.2001 was extended with the approval of GB, CSIR for a period of three years up to 13.12.2009 beyond 13.12.2006.

The scheme has further been reviewed by DG, CSIR in his capacity as Chairman, Governing Body in consultation with FA, CSIR and approved its extension for further period of 3 years upto 13.12.2012, on the existing terms and conditions subject to ratification by the Governing Body, CSIR.

It is requested that the above decision may kindly be brought to the notice of all concerned in your Lab./Instt. for their information, guidance and necessary action.

Yours faithfully


(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.,
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/F&AO of all Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. PS to JS (Admn.)
5. PA to FA, CSIR
6. PA to CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Under Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
9. Head, URDIP/IPMD/HRDC/PPD/ISTAD/NMITLI/USD/HRDG.
10. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
11. Head, RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi
12. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001
13. Head, IT Division with the request to make this circular available on the website.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001



सं.5-1(72)/2009-पीडी

दिनांक: 14 दिसम्बर, 2009

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों से बड़े रोगों का उपचार कराने के लिए किए गए चिकित्सा व्ययों को पूरा करने हेतु योजना का विस्तार विषयक सीएसआईआर के दिनांक 14.12.2001 के पत्रानुसार सीएसआईआर के कर्मचारियों को सीएस(एमए) नियमावली/सीजीएचएस नियमावली के तहत स्वीकार्य राशि के अतिरिक्त सीएसआईआर कल्याण निधि से वित्तीय सहायता

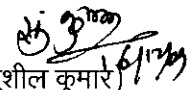
महोदय,

मुझे इस कार्यालय के दिनांक 13.03.2007 के परिपत्र सं.14(38)/98-ई.॥ का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों से बड़े रोगों का उपचार कराने के लिए किए गए चिकित्सा व्ययों को पूरा करने हेतु सीएसआईआर के दिनांक 14.12.2001 के पत्रानुसार सीएसआईआर के कर्मचारियों को सीएस(एमए) नियमावली/सीजीएचएस नियमावली के तहत स्वीकार्य राशि के अतिरिक्त सीएसआईआर कल्याण निधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी योजनावधि को सीएसआईआर की शासी निकाय (जीबी) के अनुमोदन से दिनांक 13.12.2006 से तीन वर्ष बढ़ाकर दिनांक 13.12.2009 तक कर दिया गया था।

महानिदेशक, सीएसआईआर ने शासी निकाय के अध्यक्ष की हैसियत से वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के परामर्श से इस योजना की समीक्षा की और मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर अगले तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 13.12.2012 तक की अवधि हेतु इसके विस्तार को अनुमोदन प्रदान किया है, बशर्ते इसे सीएसआईआर की शासी निकाय का अनुसमर्थन प्राप्त हो।

अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय को अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों की सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्यवाई हेतु उनके ध्यान में लाएं।

भवदीय,


 (सुशील कुमार)
 वरिष्ठ उप सचिव

प्रति:-

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/ उप वित्त सलाहकार/वित्त एवं लेखाधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.) की निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
8. अवर सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
9. प्रधान, यूआरडीआईपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/पीपीडी/इस्टैड/एनएमआईटीएलआई/यूएसडी/एचआरडीजी
10. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आरएबी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
12. डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं.80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
13. प्रधान, आईटी डिवीजन - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।